राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(2) सामान्य/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 26.07.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः—लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अद्यतन/अपलोड के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अद्यतन/दस्तावेज (Documents) अपलोड के लिए प्रशासनिक/यूनिट(विभागाध्यक्ष)/कार्यालय स्तर पर लाईट्स सॉफ्टवेयर में निम्न संशोधन किये गये है—

1- लाईट्स सॉफ्टवेयर में Case Management => Case Documents के द्वारा न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज (Documents) यथा सम्मन/ जवाबदावा/ याचिका की प्रति/अधिवक्ता आदेश/ निर्णय की प्रति इत्यादि अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है व उक्त अभिलेख अपलोड करना आवश्यक है।

2. लाईट्स सॉफ्टवेयर में Master =>Lawyer के द्वारा अधिवक्ताओ से संबंधित सूचना दर्ज अथवा Case Management =>F2 में इन्द्राज करते समय बार काउंसिल द्वारा आवंटित Enrollment Number भी इन्द्राज करना अनिवार्य किया गया है जिससे अधिवक्ताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज नहीं हो सके।

उक्त वर्णन के पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि तद्नुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(2) LITES –Gen Files